उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-2
संख्या-01/2021/597/30-2-21-60एन/73
लखनऊ : दिनांक 18 अगस्त, 2021

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है। अतएव अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1966) की धारा-3 की उपधारा-1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधीन समस्त सेवाओं में, जिन्हें सरकारी अधिसूचना संख्या-5447/30-2-60एन/73 दिनांक 31 अक्टूबर, 1983 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया गया है, हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

2- उक्त धारा की उपधारा-(2) के अधीन राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते है कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाए।

ह0
(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-01/2021/597(1)/30-2-21-60एन/73, तददिनांक ।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित, संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 18 अगस्त,2021 के सरकारी गजट (असाधारण) के विधायी परिशिष्ट भाग-4(ख) में मुद्रित किया जाए तथा इसकी 25 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-2 के उपयोगार्थ भेजी जाय।

आज्ञा से,
ह0
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-01/2021/597(2)/30-2-21-60एन/73, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को निगम स्तर से भिजवाने का कष्ट करें।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in